राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बंशीराम पुत्र भेरूराम जाति नाई निवासी बुढी तहसील व जिला नागौर		1 मोहनराम पुत्र चुनाराम जाति जाट 2 भोलाराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासीगण बुढी तहसील व जिला नागौर 3 रूपाराम पुत्र देमाराम जाति मेघवाल निवासी देहली तलाई तहसील जिला 4 भाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक भाखा नागौर 5 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नागौर।

आवेदन अधीन धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक :– 10.06.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेताय खसरा नम्बर 181 रकबा 4.11 बीघा खसरा नम्बर 187 रकबा 14.16 वाके मौजा बुढी में स्थित है।

2 यह है कि, प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 181 के उतरी तरफ खेत खसरा नम्बर 179 अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी का व प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 187 के उतरी तरफ खेत खसरा नम्बर 178 अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी का स्थित है लेकिन उक्त दोनों खेताय खसरा नम्बर 179 व 178 पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का रहता चला आया तथा खेत खसरा नम्बर 178 की खातेदारी पहले नायक जाति के व्यक्ति के नाथ थी फिर उस व्यक्ति से अप्रार्थी संख्या ने अप्रार्थी संख्या 3 के नाम रजिस्ट्री करवाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 खसरा नम्बर 178 का रेकर्डेड खातेदार होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया।

3 यह है कि, प्रार्थी के खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 181 व 187 की उतरी सीमा को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तोडकर प्रार्थी के खातेदारी के खेताय में से करीब 2 बीघा भूमि खेत खसरा नम्बर 179, 178 की भूमि से शामिल कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया और प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विधि विरूद्ध व अवैध तरीके से अपने खातेदारी हक अधिकारो से वंचित कर रखा है जिससे प्रार्थी के पुत्र ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ एक फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना खींवसर में दर्ज करवाया और प्रार्थी ने दिनांक 10.8.2012 को पटवारी हल्का से सीमा ज्ञान करवाया गया तो प्रार्थी के खातेदारी के खेताय की भूमि में से कुछ हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नाजायज अतिक्रमण पाया गया तथा पटवारी हल्का की फर्द रिपोर्ट व नगरी नक्शा से प्रार्थी के खेताय की भूमि खेत खसरा नम्बर 179, 178 में शामिल होना व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा नाजायज अतिक्रमण होना प्रमाणित है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी की भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु तैयार नहीं हुए जिससे प्रार्थी को यह आवेदन पत्र पेश करना लाज्मी हो गया है।

4 यह है कि, प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण के अतिक्रमण हटवाने का व पत्थरगड्डी करने का कानूनी रूप से पूर्ण हक व अधिकार है जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी भूमि में अवैध अतिक्रमण

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

करने का कोई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेताय का सीमा ज्ञान कर पत्थर गड्डी करने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

5 यह है कि, अप्रार्थी संख्या 3 खेत खसरा नम्बर 178 का रेकर्डेड खातेदार होने से व अप्रार्थी संख्या 4 को खेत खसरा नम्बर 181 व 187 की भूमि गिरवी होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

6 यह है कि, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी हक व अधिकारों की भूमि को प्राप्त करने का व सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी करवाने का कानूनी रूप से पूर्ण हक व अधिकार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1,2 व 5 के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए फिर भी कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध दिनांक 09.04.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नोटिस जरिये रजिस्ट्री से भिजवाये गये थे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल खतौनी ग्राम बुढी संवत् 2064 से 2067 फोटो प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2012 पेश की।

बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट हल्का से ताईद होता है कि खसरा नम्बर 181, 187 की सींव खसरा नम्बर 179, 178 के खातेदारो द्वारा मौके पर तोड़कर अपने खेतो में मिला ली है। इस प्रकार खसरा नम्बर 181, 187 में उत्तरी सींव लगभग 1.5 बीघा पर अतिक्रमण मोहनराम द्वारा कर लिया गया है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 181, 187 मौजा बुढी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते है। तहसीलदार नागौर को लिखा जावे कि आदेश की पालना में प्रार्थी के उपरोक्त खेताय का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवावे।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

आदेश दिनांक 10.06.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर